परिशिष्ट क्रमांक 6

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 521 भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 फरवरी 2009—माघ 22, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2009

क्र. 868-43-इक्कीस-अ(ज्ञा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 फरवरी, 2009 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् २००९.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और विस्तार.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.
६. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
७. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.
८. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
९. साधारण परिषद्.
१०. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.
११. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २००९.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९.

[दिनांक 10 फरवरी, 2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक 11 फरवरी, 2009 को प्रथमवार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा निगमित करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

(ग) "स्वशासी महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह शिक्षा संस्था, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित की गई है;

(घ) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन संधारित किया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

(ङ) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है वित्त प्रभाग का प्रमुख जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(च) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय में अपने अपने संकायों के संकायाध्यक्ष;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है प्राध्यापन विभाग और उसके अन्तर्गत आता है अध्ययन केन्द्र (सेन्टर ऑफ स्टडीज);

(ज) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(झ) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोई संकाय;

(ञ) "साधारण परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;

(ट) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त किया जाए;

(ठ) "कुलाधिसचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव जो कार्य परिषद् द्वारा विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा;

(ड) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(ढ) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के विनियम;

(ण) "अध्यापक" से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें शिक्षण देने के लिए या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित है या जिसे मान्यता दी गई है, विद्या परिषद् के अनुमोदन से नियुक्त किया जाए;

(त) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय;

(थ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ३) के अधीन स्थापित किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(द) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(ध) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.

विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.

३. (१) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाम से एक संगीत एवं कला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, संपत्ति अर्जित करने और धारण करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(३) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिये उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं, कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ग्वालियर में होगा.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(एक) संगीत एवं कला संबंधी विद्या तथा ज्ञान का अभिवर्धन तथा उसका प्रसार और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना;

(दो) छात्रों तथा अनुसंधानकर्ता विद्वानों में संगीत एवं कला के क्षेत्र में सुधारों के संबंध में बुद्धि कौशल का विकास करके संगीत एवं कला तथा संबंधित क्षेत्र में समाज की सेवा करने के उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना;

(तीन) संगीत से संबंधित ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अभिभाषणों, सेमीनारों, परिसंवादों और अधिवेशनों को आयोजित करना और संगीत एवं कला संबंधी प्रक्रिया को सामाजिक विकास का प्रभावशाली उपकरण बनाना;

(चार) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना; और

(पांच) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हैं.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.

५. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—

(एक) विश्वविद्यालय का और गवेषणा, शिक्षा और शिक्षण के ऐसे केन्द्रों का, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक हैं, प्रशासन तथा प्रबन्ध करना;

(दो) संगीत एवं कला संबंधी ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण हेतु उपबंध करना और गणवेषणा के लिए और संगीत एवं कला के ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिए उपबंध करना;

(तीन) संगीत एवं कला तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं पर गवेषणा कार्य करना तथा प्रायोजित करना;

(चार) उपाधि या उपाधि-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना;

(पांच) बहिर्वर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा आयोजित करना तथा हाथ में लेना;

(छह) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किसी उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(सात) विनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(आठ) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;

(नौ) छात्र निवास (हॉल) तथा छात्रावास स्थापित करना तथा बनाए रखना, विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के लिए स्थानों को मान्यता देना और निवास के किसी स्थान को दी गई मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(दस) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अध्यापन, विद्या संबंधी या गवेषणा संबंधी पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(तेरह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या उनका चलाना बन्द करना;

(पन्द्रह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिस पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे, संगीत एवं कला, सामाजिक विकास और सहायक विषयों के संबंध में किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रबन्ध करना;

(सत्रह) ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान तथा दान प्राप्त करना जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए हों तथा जो उन उद्देश्यों से संगत हों जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(अठारह) कोई ऐसी भूमि, भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि विश्वविद्यालय ठीक तथा उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा प्राप्त करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का संनिर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर समस्त संपत्तियों या उनके किसी भाग को, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे, तथा जो विश्वविद्यालय के हित तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या उनका अन्यथा व्ययन करना;

(बीस) वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट), विनिमय-पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण तथा उन्हें प्रतिगृहीत करना, लिखना और पृष्ठांकन करना, बट्टा (डिस्काउन्ट) देना और परक्रामण (नेगोशिएट) करना;

(इक्कीस) जंगम या स्थवर संपत्ति के संबंध में, जिसमें विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज) सम्मिलित हैं, हस्तांतरण पत्र, अन्तरण, पुनर्हस्तांतरण पत्र बंधक, पट्टे अनुज्ञप्तियां तथा करार निष्पादित करना;

(बाईस) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने या उसका कोई कामकाज करने या उपखण्ड (उन्नीस), (बीस), (इक्कीस) तथा (बाईस) के कार्यों के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्ही भी संपत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बंधपत्रों, बंधकों, वचन-पत्रों या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधियों में से करना और उधार लिए गए किसी धन का प्रतिदाय तथा मोचन करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय की निधि या विश्वविद्यालय को सौंपी गई निधियां, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किसी विनिधान का समय-समय पर अन्तर्विनिमय (ट्रान्सपोज) करना;

(छब्बीस) ऐसे विनिमय बनाना जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों तथा प्रबन्ध का विनियमन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन, उपांतरण करना तथा उन्हें विखण्डित करना;

(सत्ताईस) विद्या संबंधी, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपदान, जैसा कि वह उचित समझे, निधि गठित करना और विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए ऐसा अनुदान देना जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी संथाओं, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तांतरण पत्रों के स्थापित किए जाने में सहायता करना और उनका समर्थन करना जो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के फायदे के लिए आशयित हों;

(अट्ठाईस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना जो विश्वविद्यालय अपने समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

६. (१) विश्वविद्यालय की उपाधि, उपाधि-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन, साधारण परिषद् के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा, ऐसे पाठ्य विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहित किया जाए.

विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.

७. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (विजिटर) होंगे.

(२) कुलाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाये और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था से संबंधित किसी मामले के संबंध में जांच करवाए.

(३) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए.

(४) कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति, कुलाध्यक्ष के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कुलाध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह साधारण परिषद् को संसूचित करेगा.

(५) साधारण परिषद् कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

८. विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण निम्नलिखित होंगे,—

(एक) साधारण परिषद्;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) विद्या परिषद्;

(चार) वित्त समिति;

(पांच) संकाय; और

(छह) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

साधारण परिषद्.

९. विश्वविद्यालय की एक साधारण परिषद् होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री;

(दो) मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का भारसाधक मंत्री;

(तीन) विश्वविद्यालय का कुलपति;

(चार) मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का सचिव;

(पांच) मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का सचिव;

(छह) मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव;

(सात) अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी का संचालक;

(आठ) संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश;

(नौ) संचालक, साहित्य अकादमी, भोपाल;

(दस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन), या उसका नामनिर्देशिती;

(ग्यारह) मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामनिर्देशित पांच विख्यात कलाकार;

(बारह) कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती;

(तेरह) चक्रानुक्रम और वरिष्ठता के अनुसार संकायों के दो संकायाध्यक्ष.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.

१०. (१) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री साधारण परिषद् का अध्यक्ष होगा.

(२) संस्कृति विभाग का भारसाधक मंत्री, साधारण परिषद् का उपाध्यक्ष होगा.

(३) विश्वविद्यालय का कुलपति, साधारण परिषद् का सचिव होगा.

साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.

११. (१) साधारण परिषद् के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि, उपखंड (२) तथा (३) के अध्यधीन रहते हुए तीन वर्ष होगी.

(२) जहां कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्देशित सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जबकि यथास्थिति उसका ऐसा पदधारण करना समाप्त हो जाए या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापिस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.

(३) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह अनैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में सभापति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्य करता है.

(४) साधारण परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिए हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई होती, तो पद धारण करता.

साधारण परिषद् की शक्तियां.

१२. साधारण परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) धारा ५ में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई है, प्रयोग करना;

(दो) समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय करना.

(तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं पर संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के कुलपति या उसकी किसी समिति या उसकी उप समिति या विश्वविद्यालय के किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और

(पांच) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए वह आवश्यक समझे.

साधारण परिषद् के सम्मिलन.

१३. (१) साधारण परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.

(२) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे.

(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.

(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त निर्णायक मत होगा.

(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको सहमति नहीं दे दी जाती है तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज-पत्र साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.

(६) विगत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का कथन, यथा, संपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, संचालक द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक सम्मिलन में साधारण परिषद् के समक्ष रखे जाएंगे.

कार्य परिषद्.

१४. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी.

(२) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध का नियंत्रण और उसकी आय कार्य परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी.

कार्य परिषद् के सदस्य.

१५. (१) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले साधारण परिषद् के दो सदस्य;

(तीन) मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती;

(चार) मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती;

(पांच) मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती;

(छह) संचालक, राज्य साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश;

(सात) संचालक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी;

(आठ) वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो संकायाध्यक्ष.

(२) कुलपति, कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा.

कार्य परिषद् की पदावधि.

१६. (१) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है, वहां उसकी सदस्यता तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् या तब समाप्त हो जाएगी जब उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए.

(२) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में कार्य परिषद् के सभापति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(३) जब तक कि कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता उपधारा (१) या (२) में यथा उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे किन्तु वे यथास्थिति पुनर्नामनिर्देशन या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.

(४) कार्य परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र जैसे ही कार्य परिषद् के सभापति द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिए हकदार संबंधी प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और जिस पद में रिक्ति हुई है उस पद की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा.

कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

१७. धारा १२ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद् को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

(एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं, उपलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना;

(दो) प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना, ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(चार) विश्वविद्यालय के किसी धन का, जिसके अन्तर्गत कोई अनुपयोजित धन भी आता है ऐसे स्टाक, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में, जैसा कि वह समय-समय पर उचित समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिधान करना और ऐसे विनिधानों में इसी प्रकार की शक्ति के साथ समय-समय पर फेरफार करना;

(पांच) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण प्रतिगृहीत करना;

(छह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(सात) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण और अन्य साधन की व्यवस्था करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की, जो कि किसी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, व्यथाएं ग्रहण करना, उन्हें न्यायनिर्णीत करना और उन्हें दूर करना;

(नौ) विद्या परिषद् से परामर्श करके परीक्षक तथा अनुसीमक (माडरेटर) नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(दस) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, सिवाय विनियम बनाने की शक्ति, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को या तो अस्थाई रूप से या स्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(बारह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

कार्य परिषद् के सम्मिलन.

१४. (१) कार्य परिषद् का सम्मिलन तीन मास में कम से कम एक बार होगा.

(२) कार्य परिषद् का अध्यक्ष, कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के किसी सम्मिलन में उसके आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो कार्य परिषद् के अध्यक्ष को या यथास्थिति उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि कार्य परिषद् द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाना आवश्यक हो तो संचालक, कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है. इस प्रकार की गई कार्यवाही की संसूचना कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी तथा कागज-पत्र कार्य परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.

स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.

१९. (१) इस अधिनियम के या इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिए गठित कर सकेगी.

(२) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिए ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी.

विद्या परिषद्.

२०. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और उन्हें बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उसे यह अधिकार होगा कि वह समस्त विद्या संबंधी मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह दे.

विद्या परिषद् की सदस्यता.

२१. (१) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) तीन व्यक्ति जो विख्यात शिक्षाविदों या विख्यात साहित्यिक व्यक्ति (मेन आफ लेटर्स) या विद्वत वृत्तियों के सदस्यों या प्रख्यात सामाजिक व्यक्तियों में से, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(तीन) मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का सचिव;

(चार) विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती;

(पांच) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(छह) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जो विश्वविद्यालय के सह आचार्यों तथा सहायक आचार्यों के प्रतिनिधि चक्रानुक्रम और वरिष्ठता के अनुसार होंगे;

(सात) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी प्रवर्ग (दो) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने का पात्र नहीं है.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी;

परन्तु प्रथम विद्या परिषद् की अवधि पांच वर्ष होगी.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.

२२. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विद्या परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(एक) ऐसे किसी विषय पर जो साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किए जाएं, रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे संबद्ध अर्हताओं, उपलब्धियों तथा कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के गठन के लिए स्कीमें बनाना तथा उनको उपांतरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषय सौंपना और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या एक संकाय को दूसरे संकाय के साथ संयोजित करने की समीचीनता के संबंध में भी कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय में नामांकित किए गए व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिए विनियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश के लिए आवेदन पर विचार करना :

परन्तु ऐसे किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आयुक्त, उच्च शिक्षा से इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न न हो कि संस्था की स्थापना या संस्था द्वारा चाहे गये संकायों के विस्तार के लिए उसके द्वारा अनुज्ञा दी गई है;

(छह) विश्वविद्यालय के भीतर गवेषणा को प्रोन्नत करना और ऐसी गवेषणा पर, समय-समय पर, रिपोर्ट दिए जाने की अपेक्षा करना;

(सात) संकाय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्थापनाओं पर विचार करना;

(आठ) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियां नियुक्त करना;

(नौ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों को मान्यता देना और उनकी समतुल्यता विश्वविद्यालय के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों के संबंध में अवधारित करना;

(दस) साधारण परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति तथा अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिताओं के समय, ढंग तथा शर्तें नियत करना तथा उन्हें प्रदान करना;

(ग्यारह) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने और उनकी फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा तथा अन्य व्यय नियत करने के बारे में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(बारह) परीक्षाएं संचालित करने हेतु व्यवस्था करना और उनके आयोजन के लिये तारीखें नियत करना;

(तेरह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियां या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियों, सम्मानों, उपाधि-पत्रों, अनुज्ञापत्रों (लाइसेंस), अभिधानों (टाईटल्स) और सम्मान के प्रतीकों को प्रदान किए जाने के संबंध में सिफारिशें करना;

(चौदह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार देना और अन्य अवार्ड (पुरस्कार) विनियमों या ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार देना जो ऐसे अवार्ड (पुरस्कार) से सम्बद्ध की जाए;

(पन्द्रह) विहित की गई या सिफारिश की गई पाठ्यपुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित किए गए अध्ययन पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(सोलह) ऐसे प्ररूप में रजिस्टर तैयार करना जो विनियमों द्वारा समय-समय पर, विहित किए जाएं; और

(सत्रह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है.

विद्या परिषद् के सम्मिलन.

२३. (१) विद्या परिषद्, उतनी बार जितनी कि आवश्यक हो, सम्मिलन करेगी किन्तु एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो सम्मिलन करेगी.

(२) विद्या परिषद् का अध्यक्ष, विद्या परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे.

(३) विद्या परिषद् के सम्मिलन के लिए विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत है तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष को या यथास्थिति सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को, उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि विद्या परिषद् द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाता है तो संचालक, विद्या परिषद् के सदस्यों में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है. इस प्रकार की गई कार्रवाई की संसूचना विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरंत दी जाएगी. संबंधित कागजपत्र विद्या परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.

वित्त समिति.

२४. (१) एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) कुल सचिव;

(तीन) नियंत्रक वित्त-सदस्य सचिव;

(चार) एक सदस्य जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा;

(पांच) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के (उप सचिव से अनिम्न पद श्रेणी वाले) एक-एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(छह) साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक सदस्य.

(२) वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(३) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी समीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(दो) नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(तीन) लेखाओं के नियत कालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(चार) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(४) वित्त समिति, छह मास से कम से कम एक बार अपने सम्मिलन करेगी वित्त समिति में चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(५) कुलपति, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए, उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

२५. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) संकायाध्यक्ष;

(चार) विभागाध्यक्ष;

(पांच) कुलसचिव;

(छह) नियंत्रक वित्त;

(सात) ऐसे अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

कुलपति की नियुक्ति.

२६. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हों/हो, तो कुलाध्यक्ष ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कुलाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा.

(२) कुलाध्यक्ष एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति, कुलाध्यक्ष इन तीनों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाध्यक्ष, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से अपने अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षा करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाध्यक्ष की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहें, तो कुलाध्यक्ष यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा.

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा.

(५) समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कुलाध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जाए, तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि उपधारा (२) के अधीन गठित की गई समिति, किसी कारण से उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाध्यक्ष एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हों, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में

अभिहित किया जाएगा. इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि के भीतर जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन गठित समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाध्यक्ष किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद की रिक्ति.

२७. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

(२) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपने पद पर नहीं बना रहेगा :

परन्तु यह और कि उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी.

(३) यदि अभ्यावेदन किए जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् किसी भी समय कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने —

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) यह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो कुलाध्यक्ष, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्थापित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हों तथा उसे प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(५) उपधारा (३) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.

(६) जहां कुलपति के पद पर कोई रिक्ति, जिसमें उसकी मृत्यु, पदत्याग, छुट्टी या रुग्णता के कारण से अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, हो जाने की दशा में, कुलाध्यक्ष तथा यदि कुलाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाध्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है तो किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया गया विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा २६ की उपधारा (१) या उपधारा (७) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद ग्रहण न कर ले या पुनर्ग्रहण न कर ले :

परन्तु इस उपधारा में अनुध्यात किया गया इंतजाम छह मास से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा:

परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा धारा ५७ के अधीन की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा हो.

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

२८. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और वह कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा और वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो.

(२) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(३) कुलपति को सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारियों, समितियां तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष हो, सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी तथा वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(४) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता, करेगा:

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय के हेतु बचनबद्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्रवाई की संसूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

परन्तु यह भी कि यह शक्ति अध्यादेशों, परिनियमों, विनियम या नियुक्तियों से संबंधित किसी अन्य मामले में संशोधनों संबंधी विषयों में विस्तारित नहीं होगी.

(५) उपधारा (४) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन न करे, तो वह मामले को साधारण परिषद् को निर्दिष्ट करेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(६) उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जायेगी जब तक कि वह उपधारा (५) के अधीन किए गये निर्देश के प्राप्त होने पर साधारण परिषद् द्वारा अपास्त न कर दी जाए या उपधारा (४) के द्वितीय परंतुक के अधीन अपील के किए जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त न कर दी जाए.

(७) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्रवाई से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला साधारण परिषद् को निर्दिष्ट करेगा और तदनुसार इत्तिला, संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को देगा जिस पर कि संबंधित विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला साधारण परिषद् द्वारा विनिश्चित न कर दिया जाए.

(८) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा.

(९) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

२९. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या उसका ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और वह इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का या उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् ऐसे प्राधिकारियों के स्थान पर कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने में उसकी (कुलपति की) सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए ऐसी समिति नियुक्त करेगा, जिसमें एक शिक्षा शास्त्री, एक प्रशासकीय विशेषज्ञ और एक वित्तीय विशेषज्ञ होंगे.

विभागाध्यक्ष तथा संकाय.

३०. (१) विश्वविद्यालय के विभागों में से प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा.

(२) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, उनके कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे,—

(क) संगीत संकाय;

(ख) नृत्य संकाय;

(ग) कला संकाय;

(घ) परिनियमों द्वारा विहित कोई अन्य संकाय.

कुलसचिव.

३१. (१) कुलसचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा. कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) कुलसचिव, साधारण परिषद्, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा किन्तु उसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य है.

(३) कुलसचिव, कुलपति के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा.

(४) कार्य परिषद् की शक्तियों के अधीन रहते हुए कुलसचिव जब तक परिनियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं कर दिया जाता, इस बात पर ध्यान देने के लिए उत्तरदायी होगा कि धन उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जाय जिसके लिए वह मंजूर या आवंटित किया गया है.

(५) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाता, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और समस्त दस्तावेज तथा अभिलेख कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.

(६) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित की जाएं.

कुलाधिसचिव.

३२. (१) कुलाधिसचिव की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और यदि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश स्वीकार नहीं करती है तो मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(२) कुलाधिसचिव, विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा.

(३) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा की शर्तें तथा उपलब्धियां ऐसी होंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए तथा ऐसा विहित किए जाने तक वे ऐसी होंगी जैसा कि कुलाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए.

(४) कुलाधिसचिव, कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसे कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपति के परामर्श से समनुदेशित किया जाए तथा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

विश्वविद्यालय के अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

३३. कोई भी व्यक्ति,—

(एक) आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक के रूप में, या

(दो) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यापन पद पर, जिसका कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, उपधारा (२) के अनुसार गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के छह मास से अधिक काल तक चालू रहने की प्रत्याशा न हो और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के अपाय के बिना उसमें विलम्ब न किया जा सकता हो, तो कार्य परिषद् उपधारा (२) के अधीन गठित की गई चयन समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति को, चयन समिति की सिफारिश पर के सिवाय, उसी पद पर छह मास से अधिक की कालावधि के लिये नहीं रखा जायगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे;

(२) चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(एक) कुलपति—अध्यक्ष ;

(दो) विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्तुत विषय के तीन विशेषज्ञों के पेनल में से एक विशेषज्ञ, जो किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(तीन) तीन विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे:

परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक विशेषज्ञ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग में से नामनिर्देशित किया जाएगा, इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की दशा में, एक प्रशासनिक अधिकारी को, जो आयुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जो आरक्षित प्रवर्गों का हो, नामनिर्देशित किया जाएगा.

(३) चयन समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(४) समिति, कार्य परिषद् को उन व्यक्तियों के नामों की, यदि कोई हों, जिन्हें कि वह पदों के लिए उपयुक्त समझती हो, उन्हें गुणानुक्रम में लगाकर सिफारिश करेगी:

परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस सम्मिलन में, जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाए, उपधारा (२) के खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन नामनिर्देशित किए गए कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों.

(५) कार्यपरिषद् उन व्यक्तियों में से जिनकी कि उपधारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई हो, अंतिम चयन करेगी.

अध्यापकों की पदोन्नति.

३४. (१) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा ३३ के अधीन मूल रूप से नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को, जिसने ऐसी अवधि का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है और जो ऐसी अर्हताएं रखता है जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई पदोन्नति स्कीम में विहित किया गया है और जिसे राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है, क्रमश: उपाचार्य या आचार्य के पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी.

(२) ऐसी पदोन्नतियां धारा ३३ की उपधारा (२) के अधीन गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी जैसा कि पदोन्नति स्कीमों में या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेश में विहित किया गया है.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा ३३ के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर प्रभाव नहीं डालेगी.

(४) पदोन्नति के लिये उच्चतर पद के संबंध में समझा जाएगा कि वह निम्नतर पद के उन्नत हो जाने से स्वत: सृजित हो गया है और ऐसा पद संवर्ग (काडर) पद होगा:

परन्तु उच्चतर पद उस दशा में स्वत: निम्नतर पद में संपरिवर्तित हो जाएगा जब उच्चतर पद ग्रहण करने वाला पदधारी उच्चतर पद रिक्त कर देता है.

विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों को दिया जाने वाला वेतन.

३५. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतन का संदाय उन वेतनमानों के अनुसार होगा जो कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत किए गए हों.

परिनियम.

३६. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उसकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा वे शक्तियां और कृत्य जिनका प्रयोग तथा पालन उसके द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) कुलसचिवों, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उसकी उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा वे शक्तियां और कृत्य जिनका प्रयोग तथा पालन प्रत्येक अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;

(ग) विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् और उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां तथा वे शक्तियां और कृत्य जिनका प्रयोग तथा पालन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;

(घ) परीक्षकों तथा अनुसोमकों (मॉडरेटर्स) की नियुक्ति;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी अपील के या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसी अपील की जाएगी या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाएगा;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच के विवादों के और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के निपटारे के लिए अधिकरण तथा प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसी अपील की जाएगी या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाएगा;

(झ) विश्वविद्यालय में स्तरमानों का समन्वय और अवधारण;

(ञ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या उपबंधित किए जाएं.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३७. (१) परिनियम साधारण परिषद् द्वारा विरचित किए जाएंगे और ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे.

(२) साधारण परिषद्, समय-समय पर कोई परिनियम बना सकेगी, उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी.

(३) साधारण परिषद्, किसी परिनियम के या किसी परिनियम में किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के किसी ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो.

अध्यादेश.

३८. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए अध्यादेशों में उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) विद्यार्थियों का प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य पाठ्यक्रमों में संचालित अर्हताएं, अध्येतावृत्तियों, पुरस्कारों के दिए जाने तथा वैसी ही बातों के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत है परीक्षकों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटर्स) के निबन्धन और शर्तें तथा उनकी नियुक्ति;

(ग) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या उपबंधित किया जाए.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३९. प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में साधारण परिषद् द्वारा किसी ऐसे प्रारूप पर किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे.

विनियम.

४०. (१) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी, समितियां और इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय के अन्य निकाय निम्नलिखित हेतु विनियम बना सकेंगे—

(क) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित किया जा सकेगा:

परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिए उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मिलन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जिनको कि इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किया जाना है;

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या समितियों से संबंधित हों जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है.

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मिलनों की तारीखों की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिए जाने एवं सम्मिलन का कार्यवृत्त रखे जाने के लिए उपबंध हो;

(३) कार्यपरिषद्, किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किन्हीं भी विनियमों को उपांतरित या वापिस कर सकेगी.

भविष्य निधि, उपदान तथा पेंशन.

४१. विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी, ऐसे परिनियमों के अनुसार, जो उस संबंध में बनाए जाएं, भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान के फायदों के लिये हकदार होंगे.

विश्वविद्यालय की निधि.

४२. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से प्राप्त कोई अभिदाय, अनुदान या सहायता;

(दो) कोई वसीयत, दान, विन्यास (एन्डाउमेंट्स) या अन्य अनुदान जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और

(चार) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकमें.

(२) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. ३) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी, जिन्हें भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. २) द्वारा प्राधिकृत है जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए.

(३) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

उद्देश्य, जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

४३. (१) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जाएगा:—

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए, निवास-स्थान तथा छात्र-निवास के अनुरक्षण के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, व्ययों के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन-केन्द्रों में नियोजित किए गए अध्यापकवृंद तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अध्यापकवृंद के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपदान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए लिए;

(च) सभा, कार्य-परिषद् तथा विद्या-परिषद् के के सदस्यों और विश्वविद्यालयों के किन्ही प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) विद्यार्थियों के अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए;

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो कि कार्य-परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिए.

(२) कार्य-परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिये नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य-परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा.

(३) उपबंधित किए गए व्यय से भिन्न कोई भी व्यय, विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.

४४. (१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी:

परन्तु जब कभी आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकार को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के, जिनका प्रबन्ध उसके द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, कराई जाए.

(३) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, कार्य परिषद् द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति साधारण परिषद् के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी राज्य के विधान सभा पटल पर वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट रखने के लिए प्रस्तुत की जाएगी.

(४) वार्षिक लेखाओं पर साधारण परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जाएगा और साधारण परिषद्, उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी और कार्य परिषद् साधारण परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे और कार्य परिषद् उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किए जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में देगी.

वित्तीय प्राक्कलन.

४५. (१) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी.

(२) कार्य परिषद् उस दशा में जहां ऐसी रकम से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में, व्यय किया जाता है, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए व्यय कर सकेगी और जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में की जायेगी.

वार्षिक रिपोर्ट.

४६. (१) कार्य परिषद् एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं या जिसे साधारण परिषद् द्वारा संकल्प पारित करके विनिर्दिष्ट किया जाए और कार्य परिषद् उसके अनुसार कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई साधारण परिषद् को संसूचित की जाएगी.

(२) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और उसके साथ साधारण परिषद् का संकल्प, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्य सरकार उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां, उपाधि-पत्र आदि का प्रदान किया जाना.

४७. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के अधीन संगीत और कला में उपाधियां, उपाधि-पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और पदवियां (टाइटिल्स) प्रदान करें.

सम्मानिक उपाधियां.

४८. यदि विद्या परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह विशिष्ट उपलब्धियों तथा हैसियत के कारण उनकी राय में ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता प्राप्त करने के लिये उपयुक्त या उचित व्यक्ति है, सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता प्रदान की जाए तो साधारण परिषद् संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगी कि सिफारिश किये गये व्यक्ति को ऐसी सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता प्रदान की जाए.

उपाधि या उपाधि-पत्र का प्रत्याहरण.

४९. किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता-उपाधि, उपाधि-पत्र या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण अध्यादेश द्वारा विहित किए अनुसार किया जा सकेगा.

सम्पत्ति का अंतरण.

५०. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, विश्वविद्यालय को भवन, भूमि या कोई अन्य सम्पत्ति चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उपयोग और प्रबंध किये जाने के लिये ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, अंतरित कर सकेगी.

रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.

५१. (१) इस बात के होते हुए भी कि साधारण परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय का गठन सम्यक् रूप से नहीं हुआ है या किसी भी समय इसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसके गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती.

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई संकल्प इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसके किसी सदस्य पर सूचना की तामील में कोई अनियमितता हुई है बशर्ते ऐसे प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाही ऐसी अनियमितता के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हुई हो.

प्रारंभ पर कठिनाइयों का दूर किया जाना.

५२. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम सम्मिलन के संबंध में या इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों को प्रथम बार प्रभावी बनाने में अन्यथा कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, किसी भी समय, इसके पूर्व कि विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों का गठन किया जाए, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकेगी या कोई ऐसी बात, जो जहां तक हो सके वह इस अधिनियम और विनियम के उपबंधों से सुसंगत हो, कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, और ऐसे प्रत्येक आदेश का यह प्रभाव होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई इस अधिनियम तथा विनियमों में उपबंधित की गई रीति में की गई है :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, कुलपति की और विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकारी की, जो कि गठित किया जा चुका हो, राय सुनिश्चत करेगी तथा उस पर विचार करेगी.

अस्थायी उपबंध.

५३. इस अधिनियम और विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति, साधारण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे समय तक ऐसी किन्ही भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन कर सकेगा जिनका इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाना है, जब तक कि इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा उपबंधित किये गये अनुसार ऐसा प्राधिकारी अस्तित्व में नहीं आ जाता है.

संरक्षण.

५४. विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.

५५. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे,

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५६. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य शासन के नियंत्रण के अध्यधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार उस सीमा तक रहेगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे कि वह (विश्वविद्यालय) वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट हों, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिये आवश्यक तथा पर्याप्त समझे.

(४) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अन्तर्गत कोई ऐसा उपबन्ध आ सकेगा,—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि बजट मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए ;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाए कि वह प्रत्येक ऐसी प्रस्थापना, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अन्तर्वलित होती हों, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करे;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्ते की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्थापना मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए ;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की जाय कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में के समस्त व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए ;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए ;

(छह) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को नीचा किया जाए ;

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हों, जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए.

(५) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिये यह आबद्धकर होगी कि वह इस धारा के अधीन दिये गये निदेशों को कार्यान्वित करे.

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये निदेश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को किसी निधि या सम्पत्ति के दुरूपयोजन के लिये, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी :

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित व्यक्ति को न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.

५७. (१) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि, जैसी कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय.

(३) नियत तारीख से कुलपति, जो नियत तारीख से अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहा है, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपना पद रिक्त कर देगा और कुलाध्यक्ष, तत्काल अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान अपने पद पर रहेगा :

परन्तु कुलपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके की जाएगी और उसे कुलाध्यक्ष द्वारा वैसी ही रीति में हटाया जा सकेगा :

परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी, उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख से अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्यपरिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा ;

(दो) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाय तब तक कुलपति, जो उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों :

परन्तु कुलाध्यक्ष यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात्, यथासाध्यशीघ्र, कुलपति, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी :

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय.

निरसन और व्यावृत्ति.

५८. (१) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अध्यादेश, २००८ (क्रमांक ५ सन् २००८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2009

क्र. 869-43 इक्कीस-अ(प्रा.) —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 3 OF 2009.

RAJA MAN SINGH TOMAR SANGIT EVAM KALA VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2009

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and extent.
2. Definitions.
3. Establishment and incorporation of the University.
4. Objectives of the University.
5. Powers and functions of the University.
6. Teaching in the University.
7. Visitor of the University.
8. Authorities of the University.
9. General Council.
10. Chairman, Vice-Chairman and Secretary.
11. Term of office of members of the General Council.
12. Powers of the General Council.
13. Meetings of the General Council.
14. The Executive Council.
15. The members of the Executive Council.
16. Term of office of Executive Council.
17. Powers and functions of the Executive Council.
18. Meetings of the Executive Council.
19. Constitution of Standing Committee and appointment of ad-hoc committees.
20. Academic Council.
21. Membership of the Academic Council.
22. Powers and duties of the Academic Council.
23. Meetings of the Academic Council.
24. Finance Committee.
25. Officers of the University.
26. Appointment of Vice-Chancellor.
27. Emoluments and conditions of service of Vice-Chancellor, term of office and vacancy in the office of Vice-Chancellor.

28. Powers and duties of Vice-Chancellor.
29. Powers and duties of first Vice-Chancellor.
30. Head of the Department and Faculties.
31. Registrar.
32. Rector.
33. Appointment to the teaching posts in the University.
34. Promotion of teachers.
35. Salary of teachers paid by University.
36. Statutes.
37. Statutes how made.
38. Ordinances.
39. Ordinances how made.
40. Regulations.
41. Provident Fund, Gratuity and Pension.
42. Fund of the University.
43. Objects to which University Fund may be applied.
44. The annual accounts and audit.
45. Financial estimates.
46. Annual Report.
47. Grant of degree, diploma etc. by the University.
48. Honorary degrees.
49. Withdrawal of degree or diploma.
50. Transfer of property.
51. Proceeding of authorities not invalidates by vacancies.
52. Removal of difficulties at the commencement.
53. Transitory provisions.
54. Indemnity.
55. Act to have overriding effect.
56. State Government to assume financial control in certain circumstances.
57. Special provision for better administration of University in certain circumstances.
58. Repeal and Saving.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 3 OF 2009.

RAJA MAN SINGH TOMAR SANGIT EVAM KALA VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2009

[Received the assent of the Governor on the 10th February, 2009; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th February, 2009.]

An Act to establish and incorporate a teaching and residential University known as Raja Man Singh Tomar Music and Arts University in the State of Madhya Pradesh and to provide for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Affiliated College" means an institution admitted to the privileges of the University in accordance with the provisions of this Act and the Statutes;

(c) "Autonomous College" means an educational institution declared as autonomous college by the Executive Council in accordance with the provisions of this Act;

(d) "College" means an institution maintained by, or admitted to the privileges of the University by or under the provisions of this Act;

(e) "Comptroller Finance" means the head of finance division, who shall be appointed by the State Government;

(f) "Dean" means Deans of respective faculties in the University;

(g) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies;

(h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(i) "Faculty" means Faculty of the University;

(j) "General Council" means the General Council of the University;

(k) "Principal" means the Head of a College and includes, when there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal;

(l) "Rector" means the Rector of the University, who shall be appointed by the Executive Council as per regulations;

(m) "Registrar" means the Registrar of the University;

(n) "Regulations" means the Regulations of the University made under this Act;

(o) "Teacher" means Professors, Readers, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research, with the approval of the Academic Council in the University or any college or institution maintained or recognized by the University;

(p) "University" means the Raja Man Singh Tomar Music and Arts University established under this Act;

(q) "University Grants Commission" means the University Grant Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);

(r) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University;

(s) "Visitor" means the Visitor of the University.

Establishment and incorporation of the University.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint, there shall be established in the State of Madhya Pradesh a Music and Arts University by the name of the Raja Man Singh Tomar Music and Arts University.

(2) The University shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and common seal with power to acquire and hold property, to contract and shall sue and be sued by the said name.

(3) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar or a representative appointed by him or by any person nominated by him for this purpose and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

(4) The headquarters of the University shall-be at Gwalior.

Objectives of the University.

4. The objectives of the University shall be;—

(i) to advance and disseminate learning and knowledge of music and arts and their role in national development;

(ii) to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society in the field of music and arts by developing skills in regard to music and arts and related field.

(iii) to organise lectures, seminars, symposia and conferences to make music and arts efficient instruments of social development;

(iv) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and

(v) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

Powers and functions of the University.

5. The powers and functions of the University shall be;

(i) to administer and manage the University and such centers for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;

(ii) to provide for instruction in such branches of knowledge or learning pertaining to music and arts, as the University may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of music and arts;

(iii) to sponsor and undertake research in all aspects of music and arts and social development;

(iv) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University for a course of study for a degree or a diploma;

(v) to organise and undertake extra-mural teaching and extension services;

(vi) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient casuse;

(vii) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner laid down in the regulations;

(viii) to fix, demand and receive fees and other charges;

(ix) to institute and maintain halls and hostels and to recognise places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition according to any such place of residence;

(x) to institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, Readerships and Lectureships and any other teaching, academic or research posts required by the University and to make appointments thereto;

(xi) to create technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(xii) to regulate and enforce discipline among the students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(xiii) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;

(xiv) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University,

(xv) to co-operate with any other organisation in the matter of education, training and research in music and arts, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(xvi) to regulate to expenditure and to manage the accounts of the University;

(xvii) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established;

(xviii) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may deem fit and proper and to construct or alter and maintain any such buildings or works;

(xix) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University;

(xx) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate, promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;

(xxi) to execute conveyances, transfers, reconveyances, mortgages leases, licence and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be required for the purpose of the University;

(xxii) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(xxiii) to appoint any such person as it may deem fit to execute an instrument or transact any business or discharge the functions of the University under sub-clauses (xix), (xx), (xxi) and (xxii);

(xxiv) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money, and to reply and redeem any money borrowed;

(xxv) to invest the fund of the University or funds entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xxvi) to make such regulations as may, from time to time, considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xxvii) to constitue for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, such pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employee of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University;

(xxviii) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.

Teaching in the University.

6. (1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the University shall be conducted, under the control of the General Council by the teachers of the University in accordance with the syllabus prescribed by the Regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be as prescribed by the Ordinance.

Visitor of the University.

7. (1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall have the right to cause inspection to be made by such person or persons as he may direct of the University, its buildings, libraries and equipments and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(3) The Visitor shall in every case give notice to the University or of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(4) The Visitor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate to the General Council the views of the Visitor along with such advice as the Visitor may have offered on the action to be taken thereon.

(5) The General Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Visitor such action, if any, as it proposes to take or have been taken on the result of such inspection of enquiry.

Authorities of the University.

8. The following shall be the authorities of the University:—

(i) the General Council;
(ii) the Executive Council;
(iii) the Academic Council;
(iv) the Finance Committee;
(v) the Faculties; and
(vi) such other authorities as may be prescribed by the Statutes.

General Council.

9. There shall be a General Council of the University, which shall consist of the following members, namely:—

(i) the Chief Minister of Madhya Pradesh;
(ii) the Minister-in-charge of Culture of Government of Madhya Pradesh;
(iii) the Vice-Chancellor of the University;
(iv) the Secretary, Culture Department, Government of Madhya Pradesh;
(v) the Secretary, Finance Department, Government of Madhya Pradesh;
(vi) the Secretary, Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh;
(vii) the Director of Allauddin Khan Sangit Aur Kala Academy;
(viii) the Director, Culture, Madhya Pradesh;
(ix) the Director, Sahitya Academy, Bhopal;
(x) the Chairperson of the University Grants Commission or its nominee;
(xi) five eminent artists nominated by the Government of Madhya Pradesh;
(xii) nominee of the visitor;
(xiii) two Deans of Faculties by rotation and seniority.

Chairman, Vice-Chairman and Secretary.

10. (1) The Chief Minister of Madhya Pradesh shall be the Chairman of the General Council

(2) The Minister-in-charge of the Culture Department shall be the Vice-Chairman of the General Council.

(3) The Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council.

Term of office of members of the General Council.

11. (1) The term of office of the nominated members of the General Council shall, subject to sub-section (2) and (3), be three years.

(2) Where a member of the General Council becomes such member by reason of the office or appointment he holds or is a nominated member, his membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment or, as the case may be, or his nomination is withdrawn or cancelled.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral

turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor, accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave of the Chairman or acts against the interests of the University.

(4) A member of the General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect as soon as such resignation has been accepted by him.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

Powers of the General Council.

12. The General Council shall have following powers, namely:—

(i) to exercise the powers and functions of the University laid down in Section 5 except where such powers are given to some other authority or officer of the University;

(ii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University;

(iii) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(iv) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members or any employee of the University; and

(v) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.

Meetings of the General Council.

13. (1) The General Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days notice shall be given for its meetings.

(2) The Chairman shall preside over the meeting and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form the quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairman or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council become necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council, and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the General Council, and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council at its annual meeting.

The Executive Council.

14. (1) The Executive Council shall be the chief executive body of the University.

(2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

Members of the Executive Council.

15. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) two members of the General Council to be nominated by the General Council;

(iii) the Secretary, Culture Department, Government of Madhya Pradesh or its nominee;

(iv) the Secretary, Higher Education, Government of Madhya Pradesh or its nominee;

(v) the Secretary, Finance Department, Government of Madhya Pradesh or its nominee;

(vi) the Director, State Sahitya Academy, Madhya Pradesh;

(vii) the Director, Allauddin Khan Sangit Academy;

(viii) two Deans by rotation as per seniority.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council.

Term of office of the Executive Council.

16. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate after period of three years or when he ceases to hold that office or appointment.

(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chairman of the Executive Council or acts against the interests of the University.

(3) Unless their membership of the Executive Council is previously terminated as provided in sub-section (1) or (2) members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council other than an Ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairman of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

Powers and functions of the Executive Council.

17. Without prejudice to the provisions of Section 12, the Executive Council shall have the following powers and functions:—

(i) to create, abolish or classify teaching posts in the University and to determinate the qualifications, emoluments and duties attached thereto after considering the recommendations of the Academic Council;

(ii) to create administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts;

(iii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may deem fit;

(iv) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, deem fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power or varying such investments from time to time;

(v) to transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(vi) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;

(vii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(viii) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the officers of the University, the teachers, the students and employees who may, for any reason, feel aggrieved;

(ix) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fee, emoluments, and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(x) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;

(xi) to delegate any of its powers except the powers to make regulations to any officer or authority either temporarily or permanently; and

(xii) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

Meetings of the Executive Council.

18. (1) The Executive Council shall meet at least once in three months.

(2) The Chairman of the Executive Council, shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence, the members present shall elect a person form amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One half of members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and it there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Director may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council, and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the executive Council and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council and the papers shall be placed before the next meeting of the Executive Council for confirmation.

Constitution of Standing Committee and appointment of ad-hoc committees.

19. (1) Subject to the provisions of this Act or the regulations made in this behalf, the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint ad-hoc committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the University.

(2) The Executive Council may co-opt such persons to a standing committee or an ad-hoc committee, as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

Academic Council.

20. The Academic Council shall be the academic body of the University and shall subject to the provision of this Act and the regulations, have power of control and general regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instructions, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations, and it shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

Membership of the Academic Council.

21. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of the learned professions or eminent public men, who are not in the service of the University nominated by the Vice-Chancellor;

(iii) the Secretary, Culture Department, Government of Madhya Pradesh;

(iv) a nominee of the Visitor of the University;

(v) all the Heads of the Department of the University;

(vi) two members of the teaching staff, representing Associate and Assistant Professors of the University by rotation and seniority;

(vii) a nominee of the State Government:

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under category (ii).

(2) The term of the members other than ex-officio members shall be three years:

Provided that the term of the first Academic Council shall be five years.

Powers and duties of the Academic Council.

22. Subject to the provisions of this Act or the regulations, the Academic Council shall in Addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely.—

(i) to report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

(ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualification, emoluments and duties attached thereto;

(iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) to make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(v) to consider the application for admission of an educational institution to the privileges of the University:

Provided that no such application shall be considered unless it is accompanied by a certificate from the Commissioner, Higher Education to the effect that the establishment of the institution or the expansion of faculties sought by the Institution has been permitted by him;

(vi) to promote research with the University and to require, from time to time, report on such research;

(vii) to consider proposals submitted by the faculties;

(viii) to appoint committees for admission to the University;

(ix) to recognise diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(x) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarships and other prizes and to award the same;

(xi) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(xii) to make arrangement for the conduct of examination and to fix dates for holdings them;

(xiii) to declare the result of the various examinations or to, appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment of grant of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honours;

(xiv) to award stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xv) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;

(xvi) to prepare such form and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and

(xvii) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of provisions of this Act.

Meetings of the academic Council.

23. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than once during an academic year.

(2) The Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council or, as the case may be, the member presiding over the meeting, shall in addition have a casting vote.

(5) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council, and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Academic Council, and the action so taken shall be intimated forthwith to all the members of the Academic Council, and the papers shall be placed before the next meeting of the Academic Council for confirmation.

Finance Committee.

24. (1) There shall be a Finance Committee Consisting of the following, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Registrar,

(iii) the Comptroller Finance-Member Secretary;

(iv) one member nominated by the Executive Council from amongst its members

(v) an officer each of the Finance Department and the Higher Education Department (not below the rank of Deputy Secretary) Government of Madhya Pradesh, to be nominated by the State Government;

(vi) one member to be nominated by the General Council.

(2) The members of the Finance Committee shall hold office for a period of three years.

(3) The finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely:

(i) to Examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider reappropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;

(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) The Finance Committee shall meet at least once in six months and four members of the finance Committee shall from the quorum.

(5) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

Officers of the University.

25. The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Rector;

(iii) the Deans;

(iv) the Heads of the Departments;

(v) the Registrar;

(vi) the Comptroller Finance;

(vii) such officer as may be prescribed by the Statutes.

Appointment of Vice-Chancellor.

26. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub-section (2) or sub-section (6):

Provided that if the person or persons approved by the Visitor out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Visitor may call for fresh recommendations from such committee.

Provided further that the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Visitor after consultation with State Government.

(2) The Visitor shall appoint a committee consisting of the following persons, namely:—

(i) one person elected by the Executive Council;

(ii) one person nominated by the Chairman of the University Grants Commission;

(iii) one person nominated by the Visitor,

The Visitor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the Committee.

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Visitor shall, six months before the expiry of the term of the Vice-Chancellor, call upon the Executive Council and the Chairman of the University Grants Commission to choose their nominees and if any or both of them fails to do so within one month of the receipt of the Visitor's communication in this regard, the Visitor may, further nominate any one or both the persons, as the case may be.

(4) No person who is connected with the University or any college shall be elected or nominated on the committee under sub-section (2).

(5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Visitor.

(6) If for any reasons the committee constituted under sub-section (2) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5) the Visitor shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the University or any college, one of whom shall be designated as the Chairman and the committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution.

(7) If the committee constituted under sub-section (6) fails to submit the panel within the period specified therein, the Visitor may appoint any person whom he deems fit, to be the Vice-Chancellor.

Emoluments and conditions of service of Vice-Chancellor, term of office and vacancy in the office of Vice-Chancellor.

27. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and his emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of four years and shall not be eligible for appointment for more than two tersms:

Provided that he shall cease to hold office on attaining the age of seventy years:

Provided further that notwithstanding the expiry of his terms he shall continue to hold office until his suiccessor is appointed and enters upon his office but this period shall not in any case exceed six months.

(3) If any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, if appears to the Visitor that the Vice-Chancellor :

(i) has made default in performing any duty imposed on him, by or under this Act; or

(ii) has acted in a menner prejudicial to the interest of the University; or

(iii) is incapable of managing the affairs of the University, the Visitor may notwithstanding the fact that the terms of office of the Vice-Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein, require the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(4) No order under sub-section (3) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (3), the Vice-Chancellor shall be deemed to have relinquish the office and the office of the Vice-Chancellor shall fall vacant.

(6) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of his death, resignation, leave or illness, the Rector and if no Rector has been appointed or if the Rector is not available, the Dean of any faculty or the senior most Professor of University Teaching Department nominated by the Visitor for that purpose shall act as the Vice-Chancellor until the date on which the Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) sub-section (7) of Section 26, enters or re-enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months :

Provided further that this sub-section shall be not be applicable in the event when the powers under Section 57 are exercised by the State Government.

Power and duties of the Vice-Chancellor.

28. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal administrative and academic officer of the University and shall in the absence of the Visitor preside at the meetings and he shall be an ex-officio Member and Chairman of the Executive Council and of the Academic Council and Chairman of such other authorities, committees and bodies of the University of which he is a member, and he shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the University but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of the authority, committee or body concerned.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(3) The Vice-Chancellor shall have the power to convene meetings of the court, the Executive Council, the Academic Council and of such other authorities, Committees and bodies of the University of which he is the chairman and he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter.

Provided that the action taken by the Vice-Chancellor shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months.

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Executive Council:

Provided also that the power shall not extend to matters regarding amendments in the Ordinances, Statutes, Regulations or any matter relating to appintments.

(5) on receipt of a report under sub-section (4), if the authority, committee or body concerned does not approve the action taken by the Vice-Chancellor it Shall refer the matter to the General Council whose decisions thereon shall be final.

(6) The action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the General Council on a reference made under sub-section (5) or is set aside by the Executive Council on an appeal under the second proviso to sub-section (4).

(7) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any proceeding of any authority, committee or other body of the university is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall record his reasons and refer the matter to the General Council and so inform the authority, committee or other body concerned whereupon the decision concerned shall not be given effect to until the matter is decided by the General Council.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations.

Powers & duties of first Vice-Chancellor.

29. It shall be the duty of first Vice-Chancellor of the University to constitute Executive Council, Academic Council and other authorities of the University within a period of two years from the date of the establishment of the university and till the said authorities are constituted, the Vice-Chancelor shall be deemed to be Executive council, Academic Council or such other authority, as the case may by, and shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act:

Provided that the Visitor may, if he considers it necessary or expedient so to do, appoint a committee after consultation with the State Government consisting of an educationist, an

administrative expert and a financial expert to aid and advise the Vice-Chancellor in the exercise of his powers and performance of functions in lieu of each such authority.

Head of the Department and faculties.

30. (1) There shall be a Head of the Depertment for each of the departments in the University.

(2) The powers, functions, appointments and the conditions of service of the Heads of the Departments shall be such as prescribed by the Statutes.

(3) There shall be the following faculties in the University,—

(a) Faculty of Music;

(b) Faculty of Dance;

(c) Faculty of Arts;

(d) Any other faculty prescribed by the statutes.

Registrar.

31. (1) The Registrar shall be appointed by the State Government and shall be a whole time Officer of the University and the terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the regulations.

(2) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the General Council, Executive Council and Academic Council but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall discharge his duties under the Act subject to the general superintendence and control of the Vice-Chancellor.

(4) Subject to the powers of the Executive Council, the Registrar shall, unless otherwise provided in the Statutes, be responsible for seeing that all moneys are expended for the purpose for which they are granted or allotted.

(5) Unless otherwise provided for by under this Act, all contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(6) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him, by the Statutes, Ordinances and Regulations.

Rector.

32. (1) A Rector shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor, and if the Executive Council does not accept the recommendation of the Vice-Chancellor the matter shall be referred to the Visitor whose decision thereon shall be final.

(2) The Rector shall be a salaried officer of the University.

(3) Subject to the provisions of this Act, the term of office, conditions of service and emoluments of the Rector shall be such as may be prescribed by Statutes and till so prescribed as may be determined by the Visitor.

(4) The Rector shall be perform such duties and exercise such powers of Vice-Chancellor as may be assigned to him by the Visitor in consultation with the Vice-Chancellor and he shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed by regulations.

Appointment to the teaching posts in the University.

33. (1) No person shall be appointed,—

(i) as a Professor, Reader or Lecturer; or

(ii) to any other teaching post of the University paid by the University.

except on the recommendation of a selection committee of constituted in accordance with sub-section (2):

Provided that if appointment to any of the teaching posts aforesaid is not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the interest of the department or institution maintained by the University the Executive Council may make such appointment without obtaining the recommendation of the committee of selection constituted under sub-section (2) but the person so appointed, shall not be retained on the same post for a period exceeding six months or appointed to another post in the service of the University except on the recommendation of the said selection committee.

(2) The members of the selection committee shall be,—

(i) the Vice-Chancellor-Chairman,

(ii) one expert to be nominated by the Visitor from a panel, submitted by the Academic Council of three experts in the subject, not connected with the University in any manner whatsoever,

(iii) three subject experts not connected with the University in any manner whatsoever to be nominated by the Visitor:

Provided that at least one of three experts shall be nominated from category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, and in case of non-availability of an expert from these categories, one Administrative Officer not below the rank of commissioner, who belongs to reserved categories, shall be nominated.

(3) Three members of the selection committee shall form a quorum.

(4) The Committee shall recommend to the Executive Council the names, if any, of persons whom it considers suitable for the posts, arranged in order of merit:

Provided that no recommendation shall be made unless at least two experts nominated under clause (ii) and (iii) of sub-section (2) are present in the meeting in which such recommendation is to be decided upon.

(5) Out of the names so recommended under sub-section (4), the Executive Council shall appoint persons in order of merit.

Promotion of teachers.

34. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, a Lecturer or a Reader in the University substantively appointed under Section 33, who has put in such length of service and possesses such qualifications as prescribed in the promotion scheme formulated by the University Grants Commission, or the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Government of India and adopted by the State Government and the University may be given promotion to the post of Reader or Professor, respectively.

(2) Such promotions shall be given on the recommendation of the selection committee constituted under sub-section (2) of Section 33 in such manner and subject to such conditions as prescribed in the promotion schemes or in the Ordinance made by the University.

(3) Nothing contained in this Section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct recruitment in accordance with the provisions of Section 33.

(4) For promotion, the higher post shall be deemed to be automatically created by up gradation of the lower post and it shall be a cadre post:

Provided that the higher post shall automatically be converted into the lower post when the incumbent vacates the higher post.

Salary of teachers paid by University.

35. The payment of the salaries to the teachers of the University paid by the University shall be in accordance with the scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government.

Statutes.

36. Subject to the provisions of this Act, statutes may provide for all or any of the following matter, namely:—

(a) the manner of appointment of the Vice-Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions as may be exercised and performed by him;

(b) the manner of appointment of Registrars, Finance Officer and Other Officers the emoluments and other conditions of their service and the powers and functions that may be exercised and performed by each of the Officers;

(c) the constitution of the General Council and other authorities of the University, the terms of Office of the members of such authorities and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities;

(d) appointment of examiners and moderators;

(e) the appointment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;

(f) the principles governing the seniority of service of the employees of the University;

(g) the procedure in relation to any appeal or application for review by any employees or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;

(h) the forum and procedure for the settlement of disputes between the employees or students of the University and the action of any Officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;

(i) the co-ordination and determination of standards in University;

(j) all other matters which by the Act are to be or may be provided by the Statutes.

Statutes how made.

37. (1) The statutes shall be framed by the General Council and shall be effective from such date as it may specify.

(2) The General Council may, from time to time, make, amend or repeal any Statute.

(3) The General Council shall not take into consideration the draft of any Statute or of any amendment of a Statute or of the repeal of any amendment of a Statute or of the repeal of any

statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal.

Ordinances.

38. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students, the courses of study and the fees therefore, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other courses, the conditions for the grant of fellowships, awards and the like;

(b) the conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners and moderators;

(c) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinance.

(2) The first Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the General Council and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the General Council in the manner prescribed by the Statutes.

Ordinance how made.

39. The first Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the General Council and Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the General Council in the manner prescribed by the Statutes.

Regulations.

40. (1) Subject to the provisions of this Act the Statutes and Ordinances the authorities, committees and other bodies of the University constituted by or under this Act may make regulations for—

(a) laying down the procedure to be observed at their meeting and the number of members required to form a quorum:

Provided that until regulations providing for quorum are made, the quorum to constitute a meeting of any authority, committee or other body of the University shall be number forming the majority of the members constituting such authority, committee or other body of the University for the time being;

(b) Providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by the regulations; and

(c) providing for all matters solely concerning such authority or other body or the committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority, committee and body of the University shall made regulations providing for the giving of notice to the members of such authority, committee or body of the date of meetings and of the business to be considered at meetings and for keeping the minutes of the meetings.

(3) The Executive Council may modify or annul any regulations made under this Section by any authority, committee or body.

Provident Fund, Gratuity and Pension.

41. All the permanent employees of the University shall be entitled to the benefit of the Provident Fund, Pension and Gratuity in accordance with such Statutes as may be framed in that behalf.

Fund of the University.

42. (1) There shall be for the University, an University Fund which shall include,—

(i) any contribution, grant or assistance received by the University from the University Grants Commission, Central Government, State Government or any other Institution;

(ii) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions;

(iii) income received by the University from fees and charges; and

(iv) amounts received from any other source.

(2) The amount in the said Fund shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 3 of 1934) or may be invested in such securities authorised by the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882) as may be decided by the Executive Council.

(3) The said Fund may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed by Regulations.

Objects to which University fund may be applied.

43. (1) The University Fund shall be applicable to the following objects,—

(a) to the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, the Ordinances and Regulations made thereunder;

(b) to the upkeep of colleges, teaching departments, Schools of studies established by the University, residence and halls;

(c) to the payment of the cost of audit of the University Fund;

(d) to the expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(e) to the payment of salaries and allowances of the officers and employees of the University, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges, the teaching departments and schools of studies maintained by the University for and in furtherance of the purposes of this Act, and the Statutes, the Ordinances and the Regulations made thereunder and to the payment of any Provident Fund Contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishment;

(f) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Court, Executive Council and the Academic Council and any other authority of the University and/or the members of any committee or Board appointed by any of the authorities of the University in pursuance of any provision of this Act, and the Statutes, the Ordinances and the Regulations made thereunder;

(g) to the payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students;

(h) to the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act, and the Statutes, the Ordinances and the Regulations made thereunder;

(i) to the payment of any other expenses not specified in any of the preceeding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purposes of the University.

(2) No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council without the previous approval of the Executive Council.

(3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Executive Council.

The annual accounts and audit.

44. (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the auditors appointed by the Executive Council:

Provided that the State Government shall have the powers to direct, whenever considered necessary, an audit of the accounts of the University including the institutions managed by it by such auditors as it may specify.

(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government to place the Annual Audit Report on the table of the State Legislative Assembly.

(4) The annual accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting and the General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council and the Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit and the Executive Council shall inform the General Council at its next meeting of all actions taken by it or the reasons for not taking action.

Financial Estimates.

45. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the Regulations, the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.

(2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions specified in the Regulations and where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.

Annual Report.

46. (1) The Executive Council shall prepare an annual report, containing such particulars as are prescribed by regulations or as may be specified by the General Council by passing resolutions and the Executive Council shall take action in accordance therewith, and the action taken shall be intimated to the General Council.

(2) Copies of the annual report alongwith the resolution of the General Council thereon shall be submitted to the State Government and the State Government shall as soon as may be cause the same to be laid on the State Legislative Assembly.

Grant of degree, diploma etc. by the University.

47. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force the University shall have power to grant music and art degrees, diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

Honorary degrees.

48. If not less than two thirds of the member of Academic Council, recommend that an honorary degrees or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in

their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction, the General Council may, by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

Withdrawal of degree of diploma.

49. The withdrawal of any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person shall be done as provided by the Ordinances.

Transfer of property.

50. The State Government may transfer to the University buildings, lands or any other property whether movable or immovable for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Govenment deem fit for the purpose of this Act.

Proceeding of authorities not invalidated by vacancies.

51. (1) Notwithstanding that the General Council, the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the University is duly constituted or there is a defect in its consititution or reconstitution at any time and notwithstanding that there is no act or proceedings of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reason if—

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof;

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body were not prejudicially affected by such irregularity.

Removal of difficulties at the Commencement.

52. If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meetings of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act and the Regulations, the State Government may, at any time, before all authorities of the University have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act and the Regulations, which appear to him necessary or expedient for the purpose of removing difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act and the regulations.

Provided that before making any such order, the State Government shall ascertain and consider the opinion of the Vice-Chancellor and of such appropriate authority of the University as may have been constituted.

Transitory provisions.

53. Notwithstanding anything contained in this Act and Regulations, the Vice-Chancellor may, with the previous approval of the Chairman of the General Council and subject to the availability of funds, discharge all or any of the function of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the Regulations and for that purpose may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the Regulations are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act and the Regulations.

Indemnity.

54. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or any Regulations, Statutes and Ordinances made thereunder.

Act to have overriding effect.

55. The provisions of this Act and any Regulation made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

State Government to assume financial control in certain circumstances.

56. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University, a situation has arisen whereby financial stability of University has become insecure, it may, by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extent the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) remains in operation, the execcutive authority of the State Government shall extend to the giving of directions to the University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include :—

(i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;

(ii) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;

(iii) a provision requiring the submission of every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the University to the State Govenment for sanction;

(iv) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University;

(v) a provision requiring the reduction in the number of officers, teachers and other persons employed by the University;

(vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rate of allowances;

(vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the University.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every authority of the University and every officer of the university to give effect to the direction given under this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the University as a aresult of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Culture Department, be recovered from such officer as an arrear of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the State Government.

Special provision for better administration of University in certain circumstances.

57. (1) If the State Government, on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University, and it is expendient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5), shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date), apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date the Vice-Chancellor, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office, and the Visitor shall immediately after the issue of the notification appoint the Vice-Chancellor who shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor in consultation with the State Government and may be removed by the Visitor in the like manner:

Provided further that the Vice-Chancellor may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notifiction, continue to hold office thereafter until his Successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:—

(i) every person holding office as a member of the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(ii) until the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is reconstituted, the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council;

Provided that the Visitor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, and Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later :

Provided that if Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Visitor till Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

Repeal and saving

58. (1) Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhyadesh, 2008 (No. 5 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.